# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

प्रकरण सख्यॉ–22 / 2024

## आदेश

दिनॉक : 6/11/2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू. राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की कब्जाकाश्त सुदा, खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम बुझावड़ तहसील–झंवर, जिला–जोधपुर में खसरा संख्या 398 / 4 की कुल रकबा 0-8090 हैक्टयर है, के बहैसियत खातेदार काबिज है। जिसकी ऑनलाइन नक्शे में दर्ज खसरा संख्या 398 / 2 के स्थान पर खसरा संख्या 398 / 4 एवं खसरा संख्या 398 / 4 के स्थान पर खसरा संख्या 398 / 2 की ऑनलाईन तरमीम शुद्ध करने बाबत् तहसीलदार झंवर को आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार झंवर के जवाब प्रार्थना पत्र तहरीर बाबत् तहरीर जारी की गई। है, पारित

तहसीलदार झंवर के पत्रांक / कोर्ट / 2024 दिनांक 08-07-2024 के जरिये रिपोर्ट प्राप्त हुयी, जो शामिल मिसल है। जिसके अनुसार ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 398 कुल रकबा 21-09 बीघा भूमि पूर्व में दीपाराम / सालग राम के नाम दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 136 के जरिये दीपाराम,मानाराम,सावलराम,रूपाराम पि. सालगराम के नाम से सहखातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात बंटवाड़ा नामान्तरकरण खसरा संख्या 149 के जरिये सभी खातेदार अलग अलग बट्टा नंबर अंकित होकर काबिज हुये। नामान्तरकरण पुश्त पर नजरी नक्शा अंकित नही होना बताया तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे पर P–35 क्रमांक तथा सहखातेदारी के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान नही होना बताया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा कब्जा –काश्त नही होना बताया ।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के संलग्न बंटवाड़ा आदेश दिनॉक 19-03-1983 को उप तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया जिसके साथ हल्का पटवारी डोली का बनाया नजरी नक्शा संलग्न है जिसके आधार पर तरमीम दुरस्ती आदेश किये जाने का निवेदन किया । उक्त खसरो पर प्रार्थीगण का कब्जा–काश्त है ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया । तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट के अनुसार ठोस साक्ष्य सबूत एवं कब्जा नही होने से तरमीम दुरुस्ती का कोई ठोस आधार प्रतीत नही होना बताया। हम इस तर्क से सहमत नही है क्योकि विधि अनुसार त्रुटी को दुरस्त किया जाना उचित समझते हैं। इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के स्वीकार किया जाता है तथा तहतीलदार झंवर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा आदेश के संलग्न नजरी नक्शा दिनॉक 19-03-1983 अनुसार ग्राम बुझावड़ के खसरा न. 398 / 2 के स्थान पर खसरा न. 398 / 4 तथा खसरा न. 398 / 4 के स्थान पर खसरा न. 398 / 2 की ऑनलाइन तरमीम दुरुस्त करें। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी